फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : सुरजकुंवर — विपक्षी : श्री नाहरसिंह

किस्म मुकदमा – 88, 188 रा0का0अ0 — पत्रावली संख्या : 31/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक :– 12.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीया का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। प्रतिवादी सं. 2 फौत होने से नाम तर्क किया गया। प्रतिवादी सं. 3 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादीया द्वारा पैतृक सम्पति में अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीया द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, 2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 1985 प्रदर्श 3, 4, नकल भू. प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग सम्वत् 2021 प्रदर्श 5 से 9, जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 27 प्रदर्श 10 पेश किये। वादीया द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य वादीया शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 सुरजकुंवर का पेश किया। वादीयां द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नजीर RRT 2023 (1) Page 648, RRT 2023 (1) Page 372 पेश की। वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीया के पिता केसरसिंह पिता खुमसिंह(खुमाणसिंह) के नाम पर दर्ज थी जो दस्तोवज प्रदर्श 3 से 10 से स्पष्ट होता है। वादीयां के पिता केसरसिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि विरासत से वादीया के भाई लक्ष्मणसिंह, शम्भुसिंह, नाहरसिंह, गोविन्दसिंह के नाम दर्ज हुई परन्तु वादीया पुत्री होने से वादीया का नाम विरासत के आधार पर दर्ज नहीं किया गया जो दस्तावेज से स्पष्ट हैं। पत्रावली के अवलोकन से केसरसिंह पिता खुमसिंह के वारिस पुत्र लक्ष्मणसिंह, शम्भुसिंह, नाहरसिंह, गोविन्दसिंह व पुत्री सुरजकुंवर होना जाहिर होता हैं। वादीया द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादीया की पैतृक भूमि होना जाहिर होता हैं एवं वादीयां के भाई नाहरसिंह के वारिसान द्वारा उपस्थित होकर वादीया सुरजकुंवर को केसरसिंह की पुत्री होना स्वीकार किया हैं। शेष प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर वादीयां के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादीयां के वाद को बल मिलता हैं। अधिवक्ता वादीयां द्वारा प्रस्तुत नजीरे उक्त प्रकरण पर चस्पा होती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया पैतृक सम्पति के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की आराजी नम्बर 574, 575, 675, 984, 988, 994 किता 6 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 2 से 4 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 5 से 6 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, 7 व 9 के हिस्से में से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर हिस्सा कम करते हुए वादीयां सुरज कुंवर को व आराजी नम्बर 993 रकबा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 5 से 6 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 7 व 9 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 10 के हिस्से में से बराबर–बराबर हिस्सा कम करते हुए वादीयां सुरज कुंवर को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:10 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 31/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00082

उनवान

1. सुरजकुंवर पुत्री केसरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।

........वादीया

बनाम

1. श्री नाहरसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली। **फौत के बजाय :–**
1/1 श्री पप्पुसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
1/2 श्रीमती चन्दाकुंवर पत्नी नाहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
1/3 मनाकुंवर पुत्री नाहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
1/4 पुष्पाकुंवर पुत्री नाहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
1/5 सीताकुंवर पुत्री नाहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्रीमती विमलादेवी पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली। **(तर्क किया)**
3. श्री हरिसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
4. ममता पुत्री गोविन्दसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
5. श्रीमती इन्द्राकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी मोतीसिंह राजपूत निवासी नाथावतो का गुडा, वरडा तह. बडगांव।
6. श्रीमती वक्तावरकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी मनोहरसिंह राजपूत निवासी घासाखेडी तह. मावली।
7. श्रीमती दीपमाला पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8. श्रीमती सुरजकुंवर पत्नी शंभुसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9. श्री प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह सांखला निवासी साकरियाखेडी तह. मावली।
10. श्रीमती लीलादेवी पत्नी रमेशचन्द्र नाई निवासी सालेराकलां तह. मावली।
11. पटवारी, पटवार हल्का सालेराकलां तह. मावली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
13. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की आराजी नम्बर 574, 575, 675, 984, 988, 994 किता 6 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 2 से 4 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 5 से 6 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, 7 व 9 के हिस्से में से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर हिस्सा कम करते हुए वादीयां सुरज कुंवर को व आराजी नम्बर 993 रकबा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 5 से 6 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 7 व 9 के हिस्से में से संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 10 के हिस्से में से बराबर–बराबर हिस्सा कम करते हुए वादीयां सुरज कुंवर को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.09.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:10 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली